सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण संख्या : 262/2011

बउनवान:—

1. कालूलाल (मृतक) पुत्र श्री किशना
   1/1 कान्ती बाई पुत्री कालूलाल
   1/2 मूलचंद पुत्र कालूलाल
   1/3 जोधराज पुत्र कालूलाल
   1/4 पथोरा बाई पत्नि हंसराज
   1/5 चेतन पुत्र हंसराल
   1/6 मुकेश पुत्र हंसराज
   1/7 विनोद पुत्र हंसराज
   1/8 सूरजा पुत्री कालूलाल
2. सूरजमल पुत्र कालूलाल
3. सुरेश पुत्र कालूलाल
4. सुरेन्द्र पुत्र कालूलाल

   जाति धाकड निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. महावीर सिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी गढ उमरियांवास तहसील दूदू जिला जयपुर
2. भवानीशंकर
3. रूपचंद — पुत्रगण छीतर जाति राठी निवासी शाहपुरा तह0 मांगरोल
4. राजेन्द्र
5. शांती बाई बेवा छीतरलाल जाति राठी निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल
6. भैरूलाल पुत्र बिरधीलाल जाति राठी निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल
7. ललिता बाई पत्नि चौथमल जाति धाकड निवासी शाहपुरा तह0 मांगरोल
8. फूला बाई बेवा मांगीलाल
9. द्वारकालाल
10. भैरूलाल
11. बृजमोहन
12. कन्हैयालाल — पुत्र गण मांगीलाल
13. गीताबाई
14. बादाम
15. सुगना बाई — पुत्रीगण मांगीलाल
16. कृष्ण मुरारी
17. मुकेश — पुत्रगण बद्रीलाल

18. [illegible]
19. मनोज
20. अयोध्याबाई बेवा बद्रीलाल
21. शिवशंकर } पुत्रगण बाबूलाल
22. हरिशंकर
23. विजयशंकर
24. बिमला } पुत्रीयां बाबूलाल
25. सीमाबाई
26. चन्द्रकांती बाई बेवा बाबूलाल अकवाम धाकड निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल
27. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 आर0टी0एक्ट0

वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा
दायरा दिनांक: 27.09.2011 निर्णय दिनांक : 08.02.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शाहपुरा मांगरोल में खसरा नं0 410 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 413 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 414 रकबा 0.30 है0 भूमि स्थित है जिसे वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। खसरा नं0 414 प्रतिवादी कम 1 ता 7 के नाम दर्ज है तथा खसरा नं0 410 व 413 प्रतिवादी कम 8 ता 26 के नाम दर्ज है। विवादित भूमियां वर्तमान नक्शा ट्रेस में पास–पास स्थित है। तथा खसरा नं0 410, 413, 414 से लगवा खसरा नं0 411 रकबा 1.29 है0, खसरा नं0 411/866 रकबा 1.29 है0 भूमियां स्थित है जो राजस्व कागजात में वादीगण के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। उक्त भूमियों का एक चक है तथा खसरा नं0 410 व 414 के एक तरफा आम रास्ता निकला हुआ है। जो मुख्य सडक है। खसरा नं0 410, 413 का साबिक खसरा नं0 245 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं0 414 का साबिक खसरा नं0 247 रकबा 15 बिस्वा था उस सेटलमेंट से पूर्व इन भूमियो का साबिक खसरा नं0 866/464, 1030/464, 1134/464 था। यह भूमियां संम्वत 2005 से 2008 की जमाबंदी में किशना, नारायण बेटे बिहारी के नाम दर्ज थी तथा इस समय उनके खाते में कुल 15 किता 123 बीघा 15 बिस्वा जमीन थी। किशना व नारायण सगे भाई थे, किशना के एक मात्र पुत्र वादी कम 1 है0 तथा वादी कम 2, 3 व 4 उसके पुत्र है। नारायण बेटे बिहारी के कोई संतान नही हुय। उसकी बेवा श्रवणी बाई थी। श्रवणी बाई ने अपने हिस्से में आयी हुयी 1/2 भूमि का रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 25.02.1965 को वादी कम 1 के पक्ष में कर दिया व अपनी समस्त भूमियो का मालिक वादी कम 1 को बना दिया इसके अनुसार साबिक खसरा नं0 866/464, 1030/464, 1134/464 पर वादीगण काबिज हो गय। सं0 2012 के सेटलमेंट ने इन भूमियों के जो नये नम्बर डाले वह भूमियां मांग्या पुत्र गोप्या धाकड के नाम दर्ज कर दी जो खसरा नं0 245 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के रूप में दर्ज की गयी। मांग्या पुत्र गोप्या का देहान्त

हो गया है तथा उसके वारिसान के नाम इंतकाल खुल गया है जिनको इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। उक्त खसरा नं0 410, 413, 414 जो आम रोड से लगी हुयी है। में वादीगण ने अपने मकान बना लिये जिसमें वादी क्रम 2, 3 व 4 के मकान पृथक पृथक बने हुये है। तथा वादी क्रम 1 का भी मकान बना हुआ है। इसके अलावा इन खसरा नम्बर में अन्य मकान बने हुए है एवं यहा आबादी बस गयी है। वर्ष 1985 में यह जानकारी हुयी की उक्त विवादित खसरा नं0 वादीगण के राजस्व कागजात में दर्ज नही है। अपितु प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उसी वर्ष पक्षकारान के मध्य बैठकर राजीनामा हुआ जिसमें प्रतिवादीगण ने अपने खाते की भूमि वादीगण को दी व वादीगण ने अपने खाते की भूमि प्रतिवादीगण को दी जो प्रतिवादीगण ने बेचान कर दी तथा प्रतिवादीगण ने जो भूमि बेचान की उनमें उन लोगो ने मकान बना लिये जथा इस प्रकार सन् 1985 से इन भूमियों पर वादीगण के मकान बने हुये है इस प्रकार वादीगण अपने मकानो में परिवार सहित निवास कर रहे है तथा उनको हक मुखालपाना प्राप्त हो गया है। किन्तु प्रतिवादीगण राजस्व कागजात में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर राजस्व भूमियों को बैचान करने पर आमादा है। जबकि उनको इस बात का कोई अधिकार हांसिल नही है। वादग्रस्त भूमियों में बने हुये मकानो को न दिखाकार राजस्व भूमि बताकर उसका पंजीयन दीगर व्यक्तियों को कर देवे जबकि विवादित भूमियों में मकान बने हुये है एवं तहसीलदार को भी कोई अधिकार नही है कि वह बने हुये मकानो का पंजीयन राजस्व भूमि के अनुसार करें। दिनांक 20.01.2011 को प्रतिवादीगण जबरन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने आ गये एवं धमकी दी कि इम वादग्रस्त भूमि पर बने मकानो को गिरायेंगे तथा खाली भूमि को जबरन काश्त करेंगे। तथा इन भूमियों का बेचान दीगर व्यक्तियों को करेगें अतः वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है। अतः निवेदन है कि ग्राम शाहपुरा की खसरा नं0 410, 413, 414 पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि उक्त आराजी पर किसी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें तथा उनको कहीं रहन, बैचान व अन्यथा प्रकार से मुन्तकिल न करें।

उक्त आशय का वाद पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर दिनांक 29.09.2011 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जर्ये सम्मन तलब होने के पश्चात जर्ये अधिवक्ता श्री कर्मवीर शर्मा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि

01. वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित तथ्य अस्वीकार है।
02. वाद पत्र की मद नं0 2 में अंकित तथ्य स्वीकार है।
03. वाद पत्र की मद नं0 3 में अंकित तथ्य स्वीकार है।
04. वाद पत्र की मद नं0 4 में अंकित तथ्य जानकारी के अभाव में पूर्णतया अस्वीकार है।

06. वाद पत्र की मद नं0 5 में अंकित तथ्य अस्वीकार है। प्रतिवादीगण की भूमि पर वादीगण के मकान होना अस्वीकार है। वादीगण ने कब्जा करने की नियत से इसी वर्ष प्रतिवादीगण की भूमि के मकान पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था।
07. वाद पत्र की मद नं0 6 में अंकित तथ्य अस्वीकार है।
08. वाद पत्र की मद नं0 7 में अंकित तथ्य पूर्णतया अस्वीकार है।
09. वाद पत्र की मद नं0 8, 9, 10 व 11 में अंकित तथ्य पूर्णतया मनघडंत बनावटी मिथ्या होने से अस्वीकार है।

विशेष विवरणः– प्रतिवादीगण बअर्सा 100 वर्षो से भी अधिक समय से अपने खाते व कब्जा की आराजी पर मुताबिक वर्तमान जमाबंदी काबिज काश्त है, जिस पर वर्ष 2010 से पूर्व कभी भी वादीगण ने कोई ऐतराज तक भी नही किया है। मुताबिक वादी अंकित विवादित आराजी खसरा नं0 410 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 413 रकबा 0.16 है0 को कमल किशोर नागर पुत्र मूलचंद निवासी फिलोजपुरा को जर्ये रजिस्ट्री दिनांक 05.09.2011 को बैचकर कब्जा दे चुका है। जिसको वाद में पक्षकार न बनाने से वाद वादी खारिज योग्य है। वादीगण की आराजी प्रतिवादीगण की आराजी के पीछे उत्तर दिशा में स्थित है, जिस पर वादीगा काबिज है। लेकिन सहड सहारे प्रतिवादीगण की भूमि होने से झगडा फसाद व झूंठे आधारो पर प्रतिवादीगण को नाजायज परेशान कर प्रतिवादीगण की खाते की आराजी को इडपने की नियत से बनावटी वाद पेश किया गया है। जो खारिज योग्य है।

वादपत्र, जवादबावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम कि गईः–

01. आया वादीगण ग्राम शाहपुरा खसरा नं0 410 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 413 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 414 रकबा 0.30 है0 स्थित है जो वादग्रस्त भूमियां है।
02. आया वादी खसरा नं0 414 प्रतिवादी कम 1 ता 7 तथा 410 व 413 प्रतिवादी कम 8 ता 26 के नाम दर्ज है।
03. आया वर्तमान नक्शा ट्रेस मे विवादित भूमिया 410, 413, 414 के लगवां 411 मिन 1.29 है0, खसरा नं0 411/856 रकबा 1.29 है0, खसरा नं0 411/860 रकबा 1.29 है0 स्थित है। वादीगण के नाम दर्ज है। सभी भूमियों का एक चक है। खसरा नं0 410, 414 से एक तरफ रास्ता है।
04. आया वादी 410, 413 का साबिक खसरा नं0 245 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 414 का साबिक खसरा नं0 247 रकबा 15 बिस्वा, उक्त सेटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा नं0 86/464, खसरा नं0 1030/464 व 1134/464 था।
05. उपरोक्त भूमियां 2005 से 2009 की जमाबंदी में किशना, नारायण बेटे बिहारी के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि कुल 15 किता 123 बीघा 15 बिस्वा थी।

06. आया किशना व नारायण सगे भाई थे किशना के एक मात्र पुत्र वादी नं0 1 व 2, 3, 4 पुत्र है नारायण लाऔलाद था उसकी बेवा श्रवणी ने 1/2 हिस्से भूमि रजिस्टर्ड पत्र का 25.02.1965 से वादी कालूलाल के पक्ष में दिया उसके अनुसार साबिक खसरा नं0 866/464, 1030/464, 1134/464 रखा वादीगण काबिज हो गये। सम्वत 2012 के सेटलमेंट में इन भूमियों में मांग्या व गोप्या धाकड सा0 दे कर दिये।

07. आया वादीगण ने खसरा नं0. 410, 413, 414 जो आम रोड से लगी है वादीण के मकान बना लिये वादीगण कम 2, 3 व 4 के मकान बने हुए है।

08. आया सम्वत 1985 किता 5 खसरा नं0 मध्य राजीनामा होने के बाद प्रतिवादीगण ने अपने खाते की भूमि वादीगण को दे दी। जो प्रतिवादी ने बेचान कर दी 1985 के भूमियों पर वादीगण के मकान बने हुए है।

09. आया प्रतिवादीगण दिनांक 20.08.2011 को कब्जा करने आ गया।

10. आया विवादित भूमि ग्राम शाहपुरा के मुताबिक रजिस्ट्री 1/2 भूमियां वादीगण के नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। खसरा नं0 410, 413, 414 पर वादीगण के कब्जे में मदाखलत न करने व खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है।

11. दादरसी

वादीगण की ओर से साक्ष्य में अपने शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 जोधराज पुत्र कालूलाल जाति धाकड निवासी शाहपुरा व पीडब्ल्यू 2 सूरजमल पुत्र कालूलाल जाति धाकड निवासी शाहपुरा के पेश किए गयें। वादी ने अपने मौखिक साक्ष्य में स्वयं पीडब्ल्यू 1 व पीडब्ल्यू 2 की साक्ष्य करवाई। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1– शपथ पत्र गवाह जोधराज पुत्र कालूलाल व प्रदर्श 2– शपथ पत्र गवाह सूरजमल पुत्र कालूलाल प्रदर्श–3 नोटिस धारा 80 जाप्ता दीवानी प्रदर्श 4 जमाबंदी ग्राम शाहुपरा सम्वत 2033–2036, प्रदर्श 5– जमाबंदी ग्राम शाहपुरा सम्वत 2067–70 प्रदर्श–6 जमाबंदी ग्राम शाहपुरा सम्वत 2067–2070 खाता 247, प्रदर्श–7 जमाबंदी ग्राम शाहपुरा सम्वत 2067–2070 खाता 244, प्रदर्श–8 जमाबंदी ग्राम शाहपुरा सम्वत 2067–2070 खाता 245 प्रदर्श– 9 जमाबंदी ग्राम शाहपुरा सम्वत 2067–2070 खाता संख्या 106, प्रदर्श 10–14 भू–प्रबंध खतौनी सम्वत 2005–2008, प्रदर्श 15–16 नक्शा ट्रेस ग्राम शाहपुरा, प्रदर्श 17– मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2014–2023 ग्राम शाहपुरा, प्रदर्श 18 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2044–2063 ग्राम शाहपुरा, प्रदर्श 19– रजिस्टर्ड दस्तावेज रहन नामा द्वारा उपपंजीयक मांगरोल जो श्री छगनलाल वल्द गोपीलाल महाजन निवासी सीसवाली दिनांक 10.05.1952 जिससे कीमतन नारायण पुत्र बिहारीलाल कौम धाकड पेशा काश्तकारी निवासी शाहपुरा को रहन रखना स्वीकार हुआ। प्रदर्श 20– रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 25.02.1965 द्वारा उपपंजीयक मांगरोल जो सर्वणी बाई बेवा नारायण धाकड द्वारा कालूलाल पुत्र किशनलाल धाकड निवासी शाहपुरा के पक्ष में अपने

[illegible] आयी 1/2 का दान किया प्रदर्श 21– मौका रिपोर्ट ग्राम शाहपुरा दिनांक 21.01.2012 पटवार [illegible] पेश किये।

दिनांक 08.02.2019 को वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, जवाब दावा का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया बहस के अनुसार तनकीवार निम्न प्रकार से निर्णय दिया जा रहा है।

तनकी नं0 1 ता 10 वादीगण को साबित करनी है, और समस्त तनकीयां आपस में एक दूसरे से मिली होने के कारण एक साथ निर्णित की जा रही है।

तनकी नम्बर 1, ता 10 :– वकील वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों को दोहराया है जो उन्होने अपने वाद पत्र में लिखा है, तथा अपने साक्ष्य पीडब्ल्यू 1 जोधराज पुत्र कालूलाल जाति धाकड निवासी शाहपुरा ने अपने बयानो में कथन किया कि ग्राम शाहपुरा की आराजी खसरा नं0 410, 413 व 414 को पूर्व सेटलमेंट द्वारा गलत खाते दर्ज करने के कारण वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें क्योकि साबिक खसरा नं0 410, 413 व 245 मिन से बना है तथा वर्तमान में वादीगण के मकान व उनकी फसल खडी हुई है पूर्व में उक्त भूमि किशना, नारायण बेटा बिहारी के नाम दर्ज थी सेटलमेंट ने गलत दर्ज की है। व पीडब्ल्यू 2 सूरजमल पुत्र कालूलाल जाति धाकड निवासी शाहपुरा ने अपने बयानो में प्रदर्श 1 के बयानो की पुष्टि की हे। वकील वादीगण की मुख्य बहस यह रही है कि ग्राम शाहपुरा मांगरोल में खसरा नं0 410 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 413 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 414 रकबा 0.30 है0 भूमि स्थित है जिसे वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। खसरा नं0 414 प्रतिवादी कम 1 ता 7 के नाम दर्ज है तथा खसरा नं0 410 व 413 प्रतिवादी कम 8 ता 26 के नाम दर्ज है। विवादित भूमियां वर्तमान नक्शा ट्रेस में पास–पास स्थित है। तथा खसरा नं0 410, 413, 414 से लगवा खसरा नं0 411 रकबा 1.29 है0, खसरा नं0 411/866 रकबा 1.29 है0 भूमियां स्थित है जो राजस्व कागजात में वादीगण के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। उक्त भूमियों का एक चक है तथा खसरा नं0 410 व 414 के एक तरफा आम रास्ता निकला हुआ है। जो मुख्य सडक है। खसरा नं0 410, 413 का साबिक खसरा नं0 245 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं0 414 का साबिक खसरा नं0 247 रकबा 15 बिस्वा था उस सेटलमेंट से पूर्व इन भूमियो का साबिक खसरा नं0 866/464, 1030/464, 1134/464 था। यह भूमियां संम्वत 2005 से 2008 की जमाबंदी में किशना, नारायण बेटे बिहारी के नाम दर्ज थी तथा इस समय उनके खाते में कुल 15 किता 123 बीघा 15 बिस्वा जमीन थी। किशना व नारायण सगे भाई थे, किशना के एक मात्र पुत्र वादी कम 1 है0 तथा वादी कम 2, 3 व 4 उसके पुत्र है। नारायण बेटे बिहारी के कोई संतान नही हुय। उसकी बेवा श्रवणी बाई थी। श्रवणी बाई ने अपने हिस्से में आयी हुयी 1/2 भूमि का रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 25.02.1965

[illegible] कर दिया व अपनी समस्त भूमियो का मालिक वादी कम 1 को बना दिया इसके [illegible] खसरा नं0 866/464, 1030/464, 1134/464 पर वादीगण काबिज हो गय। सं0 2012 [illegible] सेटलमेंट ने इन भूमियों के जो नये नम्बर डाले वह भूमियां मांग्या पुत्र गोप्या धाकड के नाम दर्ज कर दी [illegible] खसरा नं0 245 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के रूप में दर्ज की गयी। मांग्या पुत्र गोप्या का देहान्त हो गया है तथा उसके वारिसान के नाम इंतकाल खुल गया है जिनको इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। हाल खसरा नं0 410, 413, 414 जो आम रोड से लगी हुयी है। में वादीगण ने अपने मकान बना लिये जिसमें वादी कम 2, 3 व 4 के मकान पृथक पृथक बने हुये है। तथा वादी कम 1 का भी मकान बना हुआ है। इसके अलावा इन खसरा नम्बर में अन्य मकान बने हुए है एवं यहा आबादी बस गयी है। वर्ष 1985 में यह जानकारी हुयी की उक्त विवादित खसरा नं0 वादीगण के राजस्व कागजात में दर्ज नही है। अपितु प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उसी वर्ष पक्षकारान के मध्य बैठकर राजीनामा हुआ जिसमें प्रतिवादीगण ने अपने खाते की भूमि वादीगण को दी व वादीगण ने अपने खाते की भूमि प्रतिवादीगण को दी जो प्रतिवादीगण ने बेचान कर दी तथा प्रतिवादीगण ने जो भूमि बेचान की उनमें उन लोगो ने मकान बना लिये जथा इस प्रकार सन् 1985 से इन भूमियों पर वादीगण के मकान बने हुये है इस प्रकार वादीगण अपने मकानो में परिवार सहित निवास कर रहे है तथा उनको हक मुखालपाना प्राप्त हो गया है। अतः ग्राम शाहपुरा की खसरा नं0 410, 413, 414 पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि उक्त आराजी पर किसी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें तथा उनको कहीं रहन, बैचान व अन्यथा प्रकार से मुन्तकिल न करें। उक्त बहस के पक्ष में वकील वादीगण ने दस्तावेज प्रदर्श 1 ता 20 प्रस्तुत किये। वकील प्रतिवादीगण ने केवल जवाब दावा प्रस्तुत किया है एवं जवाब दावा के पक्ष में एक भी दस्तावेज प्रदर्श नही करवाये है। उपरोक्त विवेचन के आधार व दस्तावेज प्रदर्श 1 ता प्रदर्श 20 की रोशनी में तनकी नं0 1 ता 10 वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 ता 6 के निर्णित की जाती है।

दादरसीः— अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में निर्णय दिया जाता है कि ग्राम शाहपुरा मांगरोल में स्थित खसरा नं0 410 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 413 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 414 रकबा 0.30 है0 का वादीगण से लगवा होने तथा पूर्व साबिक खसरा नं0 245 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 247 रकबा 15 बिस्वा तथा इनसे पूर्व साबिक खसरा नं0 866/464, 1030/464 तथा 1134/464 होने से उक्त भूमिया किशना, नारायण पुत्र बिहारी के नाम दर्ज होने के कारण सेटलमेंट अधिकारियों ने गलत रूप से खसरा नं0 414 प्रतिवादी कम नं0 1 ता 7 तथा खसरा नं0 410 व खसरा नं0 413 प्रतिवादीगण कम 8 ता 26 के नाम दर्ज होने के कारण उनका नाम खाते से हजफ किया जाकर आराजी खसरा नं0 410, खसरा नं0 413 व खसरा नं0 414 पर वादीगण को खातेदार घोषित

जाता है कि एवं प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण की उपर्युक्त भूमियों पर बने हुए मकान में किसी भी प्रकार की प्रतिवादीगण उपयोग व उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें किसी प्रकार की मदालखत ना तो स्वयं करें और नही ही अपने प्रतिनिधि से करावें। वादीगण को शांतीपूर्वक काश्त करने देवें। तहसीलदार मांगरोल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना